

कारण बतलाने हेतु सूचना (सामान्य रूप)

[Notice to show cause (general Form)]

व्यवहार सिविल सहिता 1908 की प्रथम अनुसूचित के परिशिष्ट 'ज' (एपेडिक्स एच) का प्रपत्र सं. 4,

न्यायालय

Rajasthan High Court, Jodhpur

श्री.....

द्वारा अध्यासित (प्रिजाइडेंड)

प्रार्थी / याची / आवेदक

विरुद्ध

अप्रार्थी / अयाची / प्रतिपक्षी

प्रकरण संख्या _____

प्रकरण विषय. _____

प्रेषित,

To,

R. 1

अतः उपरोक्त **Appellant** ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि

अतः आपको एतद्वारा चेतावनी दी जाती है कि उक्त आवेदन के विरुद्ध कारण बतलाने हेतु दिनांक _____ को समय 10.30 AM बजे आप व्यक्तिशः स्वयं अथवा यथावत अनुदेशिन (ड्यूली इन्स्ट्रक्टर) अधिप्रकता/ एडवोकेट/ अभिवक्ता (प्लीडर)/ अभिकर्ता (एजेन्ट) के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित हो। इसमें चूक (डीफोल्ट) करने पर उक्त आवेदन को एक पक्षीय सुना व निश्चय किया जायेगा।

यह आज दिनांकको मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ दिया गया।

न्यायालय की मुद्रा

पक्षकार / अधिवक्ता के
लघु हस्ताक्षर

न्यायधीश

की पत्र मुद्रा

आदेशिका तामिलकर्ता का शपथ पत्र

(आदेश 5 का नियम 18)

..... के पुत्र..... का शपथ पत्र मैं
..... शपथ लेता हूं कि प्रतिज्ञात करता हूं और यह कथन करता हूं कि
.....

1. मैं इस न्यायालय का एक आदेशिका तामिलकर्ता हूं ।
2. के न्यायालय द्वारा उक्त न्यायालय के के संख्यांक वाले वाद में निकाला गया/निकाली गई तारीख का समन/की सूचना... पर तामिल के लिए मुझे तारीख को प्राप्त हुआ/हुई थी ।
3. उक्त को मैं उस समय वैयक्तिक रूप से जानता था और मैंने उक्त समन/सूचना की तामिल उस पर तारीख को लगभग बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह में उसको निविदित करके और मूल समन/ सूचना पर उनके हस्ताक्षर की अपेक्षा करके की थी (क) यहां यह लिखिए कि क्या उस व्यक्ति ने, जिस तामिल की गई आदेशिका पर हस्ताक्षर किया था या हस्ताक्षर करने से इन्कार किया था और उसने किसकी उपस्थिति में ऐसी किया था ।

(ख) आदेशिका तामिलकर्ता के हस्ताक्षर

अथवा

4. उक्त को मैं वैयक्तिक रूप से नहीं जानता इसलिए
मेरे साथ को गया उसने मुझे एक व्यक्ति दिखलाया जिसके बारे में बताया गया कि उक्त वह है और मैंने उक्त समन/सूचना की तामिल उस पर तारीख को लगभग बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह में उसकी एक प्रति उनको निविदित करके और मूल समन/सूचना पर उसके हस्ताक्षर की अपेक्षा की थी ।
(क) यहां यह लिखिए कि क्या उस व्यक्ति ने, जिस तामिल की गई आदेशिका पर हस्ताक्षर किया था या हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया था और उसने किसकी उपस्थिति में ऐसा किया था ।

(ख) आदेशिका तामिलकर्ता के हस्ताक्षर

अथवा

5. उक्त को और उस गृह को, जिसमें वह मामूली तौर पर निवास करता है। मैं वैयक्तिक रूप से जानता हूं और मैं उक्त गृह गया और वहां तारीख को लगभग बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह में मैंने उक्त को नहीं पाया ।
(क) आदेशिका की तामिल जिस रीति से की गई उसे, आदेश 5 नियम 15 और 17 के प्रति विशेष निर्देश से पूरी तरह से और यथावत लिखिए ।

अथवा

3. एक व्यक्ति मेरे साथ तक गया और मुझे वहां दिखलाया, जिसके बारे में उसने कहा कि यह वहीं गृह है, जिसमें मामूली तौर पर निवास करता है, मैंने उक्त को वहां नहीं पाया ।
(क) आदेशिका की तामील जिस रीति से की गई उसे आदेश 5 नियम 1 के प्रति विशेष निर्देश से पूरी तरह से और यथावत लिखिए ।

अथवा

यदि प्रतिस्था पत्र तामिल के लिए दिया गया है तो जिस रीति से मन की तामील की गई थी उसे प्रतिस्थापित तामिल के लिए आदेश के निबन्धों के प्रति विशेष निर्देश से पूरी तरह से और यथावत लिखिए ।

आज तारीख को उक्त ने समक्ष प्रति ज्ञान किया ।
अभिशाक्षियों को शपथ दिलाने के लिए प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 139 के अधीन ।